

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 मई 2021—ज्येष्ठ 4, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मई 2021

क्र. 1899 'अ'-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सहपठित मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिकारी तथा सेवक सेवा (भरती तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(2क) अनुसूची-एक में उल्लिखित सहायक ग्रेड-तीन एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भरती, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एजेन्सी के माध्यम से की जा सकेगी.”

No. 1899'A'-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with clause (d) of sub-section (2) of Section 29 of Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Officers and Servants Services (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2002, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2a) Posts of Assistant Grade-III and Class-IV mentioned in Schedule-I may be recruited through the Agency of the High Court of Madhya Pradesh.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.